

संख्या- 68/एक-10-2025

प्रेषक,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

कानपुर देहात, बांदा, बहराइच एवं जौनपुर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ:दिनांक:23-01-2025

विषय: वर्ष 2024-25 में शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिए राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2024-25 में शीतलहरी के दौरान निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग को राहत पहुँचाने के लिए कम्बल क्रय एवं अलाव जलाने हेतु कुल ₹0 96,52,900/- (रूपये छियानवे लाख बावन हजार नौ सौ मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नलिखित विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में सम्बन्धित जिलाधिकारी के नियन्त्रण पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:

(धनराशि लाख में)

क्रमांक	जनपद का नाम	पूर्व में शासनादेश दि० 24.10.2024 द्वारा स्वीकृत धनराशि	शीतलहरी से हुयी जनहानि के प्रभावितों के लिए स्वीकृत की जाने वाली धनराशि	कम्बल क्रय हेतु स्वीकृत की जाने वाली धनराशि	अलाव हेतु स्वीकृत की जाने वाली धनराशि	स्वीकृत की जाने वाली कुल धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	कानपुर देहात	33.00	--	--	03.00	03.00
2	बांदा	114.50	8.00	27.704	--	35.704
3	बहराइच	33.00	--	--	5.50	5.50
4	जौनपुर	33.00	--	52.325	--	52.325
योग						96.529
(रूपये छियानवे लाख बावन हजार नौ सौ मात्र)						

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध

(1) कम्बल क्रय किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-1654/एक-10-2023-12(34)/03 टी0सी0-1 दिनांक 21.10.2024 में दिये गये प्राविधानों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) आपूर्ति संस्था को कम्बल पर टैग लगाना होगा, जिस पर संबंधित संस्था का नाम कम्बल की लम्बाई, चौड़ाई एवं वजन का विवरण होगा। यह भी अंकित करना होगा कि कम्बल राजस्व विभाग के सौजन्य से निःशुल्क वितरित किया जा रहा है, जो बिक्री के लिए नहीं है।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि से जनपद में प्रति तहसील निर्बल, निराश्रित, आश्रयहीन एवं असहाय व्यक्तियों को शीतलहरी से निजात दिलाने के लिए नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद तथा नगर निगम एवं ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने जैसी यथोचित कार्यवाही की जाए।

(4) उक्त धनराशि का व्यय एम0एच0ए0 के पत्र सं0-33-03/2020-एन0डी0एम0-1, दिनांक 11.07.2023 द्वारा जारी गाईड लाइन में उल्लिखित अर्ह मानक मदों के अनुसार किया जायेगा।

(5) निर्बल, निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को अत्यधिक ठण्ड व शीतलहरी से बचाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा बिना समय गवाएं जरूरत मंद व्यक्तियों को यथाशीघ्र समय से निःशुल्क कम्बल आदि की सुविधा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ताकि अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी की पूरी अवधि हेतु उन्हें यह सुविधा प्राप्त हो सके।

(6) निर्बल, निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के चिन्हीकरण के लिए वृद्धावस्था पेंशन/विधवा पेंशन/अन्त्योदय कार्ड की प्रतीक्षा सूची, भूमिहीन, बीमार व अत्यधिक वृद्धजनों को प्राथमिकता दी जाये। विधवा पेंशन की प्रतीक्षा सूची में से अल्पसंख्यक बच्चों व अत्यधिक वृद्ध विधवाओं का तथा नगरीय क्षेत्र मलिन वस्तियों व ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़े मजदूरों में निवास करने वाले विशेषकर कमजोर वर्ग के वृद्ध, बीमार पुरुष/महिला, निराश्रित एवं असहाय को प्राथमिकता दी जाये। उपरोक्त क्रम में निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों को चिन्हित कर लिया जाये तथा क्रय कम्बलों आदि का व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए कैम्प लगाकर वितरित किया जायेगा तथापि रात्रि में जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से भी पात्रों को कम्बल आदि का वितरण सुनिश्चित कराया जाये।

(7) इस प्रयोजन हेतु स्थानीय नगर निकायों का भी सहयोग प्राप्त किया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी के कारण किसी की मृत्यु, भोजन, वस्त्र, आश्रय एवं चिकित्सा सुविधा के अभाव न हो।

(8) निःशुल्क कम्बल प्राप्त करने वाले व्यक्ति का विवरण जनपद स्तर पर रखा जायेगा तथा जनपद की वेबसाइट के साथ ही राहत की वेबसाइट rahat@nic.in पर अवश्य फीड कराया जायेगा।

(9) क्रय किये गये कम्बलों तथा अलाव जलाने पर व्यय की गयी धनराशि आदि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जायेगा तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित किया जायेगा।

(10) क्रय किये गये कम्बलों की गुणवत्ता मानक के अनुसार होने एवं क्रय के संबंध में शासन की दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(11) मण्डलायुक्त द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके अधीनस्थ जनपदों में क्रय किये जाने वाले कम्बलों की गुणवत्ता/मानक/मूल्य में बिना युक्ति-युक्त कारणों के अधिक अन्तर न हों।

(12) कम्बलों का वितरण एवं अलाव जलाने की अदयावधिक स्थिति राहत आयुक्त कार्यालय के ई-मेल rahat@nic.in पर प्रत्येक दिन शाम 4:00 बजे तक अवश्य उपलब्ध कराया जाए।

(13) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है, तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2025 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(14) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(15) उक्त निर्देशों को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय ₹0 96,52,900/- (रुपये छियानवे लाख बावन हजार नौ सौ मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-08-शीतलहरी/पाला हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत

प्रतिनिधित्वित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by

Shailendra Mani Tripathi

Date: 23-04-2025 10:20:04

अनु सचिव।

संख्या- 68(1)/एक-10-2025 तद्विनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम(लेखा एवं हकदारी), प्रयागराज, 30प्र0।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, 30प्र0।
- 3- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव 30प्र0।
- 4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, 30प्र0 लखनऊ।
- 5- राहत आयुक्त, 30प्र0, लखनऊ।
- 6- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, 30प्र0 शासन।
- 7- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एच0टी0टी0पी0/राहत यू0पी0 एन0आई0सी0 इन पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 8- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय, लखनऊ, 30प्र0।
- 9- संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, 30प्र0।
- 10- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-5।
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-24/01/2025

प्रेषण संख्या:- 68
आवंटन आदेश संख्या:- 002-68
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
08 - शीत लहरी / पाला से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	बांदा -4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3570400 15020400	3570400 15020400
2	जौनपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5232500 8532500	5232500 8532500
3	बहराइच-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	550000 11200000	550000 11200000
4	कानपुर देहात-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	300000 3600000	300000 3600000
	योग	वर्तमान प्रगामी	9652900 38352900	9652900 38352900

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छियानवे लाख बावन हजार नौ सौ
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीन करोड़ तिरासी लाख बावन हजार नौ सौ


(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उत्तर प्रदेश।